



आदेश की
क्रम सं०
और तारीख

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id :- dccourt.grd@gmail.com)

विविध वाद सं० 21/2019

डीलिया देवी वगै०-बनाम-शनिचर महतो वगैरह

आदेश
पर की
गई
कार्रवाई
के बारे
में
टिप्पणी
तिथि
सहित

1

2

3

—:आदेश:—

प्रस्तुत वाद में वादगत भूमि अनुसूचित जनजाति की खतियानी भूमि नहीं है तथा वादीगण जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, उन्हें सरकार द्वारा भूमि बन्दोबस्त की गई है और इस प्रकार यह CNT Act की धारा 71A को attract नहीं करता है। वादगत भूमि पर उभय पक्षों के बीच Right, Title एवं Interest को लेकर विवाद है जो Civil Suit 80/2005 एवं Partition Suit 80/2020 में Civil Court, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश से आच्छादित है।

Therefore the prayer of petitioner is barred by the Principle of Estoppel and Principle of Res-Judicata.

अतः अपीलार्थी के आवेदन को खारिज किया जाता है।

आदेश से सभी संबंधितों को अवगत करा दिया जाय।

विधि व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आदेश आज पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

[Signature]
12/04/25

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

[Signature]
12/04/25

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

120425